संख्या- 41/2024/1787 /78-1-2024-138/2024

प्रेषक,

अनिल कुमार सागर,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
यूपीएलसी, लखनऊ

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 07 नवम्बर 2024

विषयः उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के क्रम में M/S VAMASUNDARI INVESTMENTS (DELHI) PRIVATE LTD को प्रोत्साहन अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्याः-142/78-1-2024-14/2024 दिनॉक 19 जनवरी 2024 द्वारा ''उत्तर प्रदेश सेमीकण्डक्टर नीति-2024'' अधिसूचित की गई है। यह नीति अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।

2- M/S VAMASUNDARI INVESTMENTS (DELHI) PRIVATE LTD द्वारा Sector 10, Jewar, Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) Region, Gautam Buddha Nagar में Compound Semiconductors /Silicon Photonics/ Sensors Fab/ Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) के निर्माण के लिए इकाई की स्थापना हेतु लगभग रू 3706.12 करोड का निवेश प्रस्तावित करते हुए उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति -2024 के अन्तर्गत प्रोत्साहनों की मांग की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा M/S VAMASUNDARI INVESTMENTS (DELHI) PRIVATE LTD को Sector 10, Jewar, Yamuna Expressway Industrial Development Authority (YEIDA) Region, Gautam Buddha Nagar में Compound Semiconductors /Silicon Photonics/ Sensors Fab/ Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) के निर्माण के लिए इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के क्रम में निवेशक द्वारा निम्नलिखित विवरणानुसार मांगे गये पुनरीक्षित प्रोत्साहनों को सम्यक विचारोपरान्त अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

Sr. No	Seeking Incentives under Policy Clause No.	Incentive Details	Admissible Incentives (INR Cr.)
1.	Capital Subsidy (6.1.1)	Capital Subsidy: 50% of the capital subsidy approved by GOI. This benefit will be disbursed in accordance with the benefits provided by the Government of India on a Pari-Passu mode.	919.31 (60% of Capital Subsidy approved by GoI)
2.	Land Rebate (6.1.3)	75% subsidy for first 200 acres from state agencies.	124.37 (On Actuals as per Policy)
3.	Stamp Duty and Registration fees (6.1.4)	100% exemption on purchase/lease of land	1.16 (On Actuals as per Policy)
4.	Electricity Duty (6.1.5)	100% exemption on electricity duty for a period of 10 years	6.03 (On Actuals as per Policy)
5.	Dual power grid Network (6.1.6)	Dual Power Grid network shall be provided to the FAB units established in the state. The cost of one grid (lower of the two) shall be reimbursed by the state government while the cost of the other grid shall be borne by the investor.	9.60 (On Actuals as per Policy)
6.	Transmission and wheeling charges (6.1.7)	Exemption of 50% on wheeling charges/ transmission charges on Intrastate purchase of power shall be provided for the period of 25 years from Commencement of Project.	4.76 (On Actuals as per Policy)
7.	Support for Skilling and Training (6.1.8)	• Faculty training / technical workshops / awareness programs / expert lectures up to INR 60 Lakhs per year for 5 years; total of INR 3.0 Crores • Internship support for B.Tech & M.Tech Graduates up to 500 Students per year for 5 Years; INR 20K support per student under CM internship programme. • One time support for hire talent will be provided for a period of 12 months subject to a limit of INR 1 Cr. per unit.	4.50 (On Actuals as per Policy)
8.	Patent Registration Fees (6.1.11)	75% maximum of Rs 10 lakh for domestic and maximum Rs 20 lakh for international.	(On Actuals as per Policy)
9.	Industrial Housing (6.1.12)	10 percent of the cost of development of workers housing/dormitory and related collective facility within a radius of 10 km of the premises of the unit or ₹10 crore, whichever is lower	(On Actuals as per Policy)
10.	Center of Excellence (6.1.10)	50% of the total Center of Excellence (CoEs) project cost (subject to a maximum of 10 Cr. to establish CoEs in collaboration with reputed academic institutions and/ or industry associations/ industry or any other Govt./ Private entity)	1.68 (On Actuals as per Policy) Investor needs to do separate application
Additional Incentives approved to the Investor			
11.	Interest subsidy	5% per annum for Loan taken from Scheduled commercial banks for effective loan period.	79.47 (On actuals)
12.	Additional Requests from the Investor	Employee Linked Incentive covering reimbursement of INR 5000 per employee per month for 10 years from the date of commercial production	43.21 (On actuals)
13.		Exemption from payment of state-level and local body-level applicable taxes/duties including but not limited to Property Tax	As per applicable

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		etc. for a period of 10 years from the date of commercial production.	Act/policy
14.		Reimbursement of 100% of net SGST paid for 10 years from the date of commercial production.	86.67 (On actuals)
15.		Water subsidy of INR 45 per KL of consumption for 10 years from the date of commercial production	11.72 (On actuals)
16.		Power subsidy of INR 2 per unit of consumption for 10 years from the date of commercial production	45.49 (On actuals)
17.		Incentives for semiconductor input / raw material projects units within the value chain cluster	On Actuals
18.		100% reimbursement of the total EPF amount paid for ESDM sector professionals of Uttar Pradesh domicile with employment continuous for 1 year	5.63 (On actuals)

4- निवेशक को स्वीकृत प्रोत्साहन इण्डिया सेमीकण्डक्टर मिशन द्वारा अनुमोदित कुल पात्र परियोजना लागत के 100 प्रतिशत (उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के प्रस्तर-6 के अनुसार) से अधिक नहीं होगा और निर्गत किया गया लेटर ऑफ कम्फर्ट प्रस्तावित परियोजना पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के उपरान्त ही प्रभावी होगा। इसके अतिरिक्त पूंजीगत प्रोत्साहन, जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त प्रोत्साहन के अतिरिक्त है, केवल उसी स्थिति में संवितरित किया जायेगा, जब भारत सरकार द्वारा अपना अंश निर्गत कर दिया जाये। पूंजीगत उपादान का वितरण राज्य सरकार द्वारा Pari passu मोड में किया जाएगा।

5- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निवेशक को अपनी इकाई की स्थापना हेतु मांगे गये उपरोक्त प्रोत्साहन की अनुमन्यता हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा:-

(i) उक्त प्रोत्साहनों/छूट की प्राप्ति के लिए उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 की अन्य सभी शर्तें/प्राविधान भी प्रभावी होंगे तथा प्रोत्साहनों की प्राप्ति के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-11/2024/254/78-1-2024-14/2024 दिनांक 28 फरवरी 2024 में विहित प्रक्रियाओं का पालन किया जायेगा तथा उक्त शासनादेश में निहित सभी प्रतिबन्ध एवं शर्तें लागू होंगी।

(ii) निवेशक द्वारा अपनी परियोजना की स्थापना के क्रम में समस्त प्रभावी स्थानीय कानूनों, अधिनियमों, सरकारी विनियमों का अनुपालन किया जायेगा।

(iii) निवेशक द्वारा सम्बन्धित विभाग/संस्था/प्राधिकरण से, प्रभावी कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुसार लागू सभी आवश्यक अनुमति/स्वीकृति/अनापत्ति प्राप्त की जायेंगी।

(iv) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा निर्गत नियमों/शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(v) निवेशक द्वारा समय-समय पर अथवा जब भी शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा आवश्यक हो, परियोजना की अद्यतन स्थिति प्रदान की जायेगी। शासन/नोडल एजेन्सी द्वारा परियोजना से सम्बन्धित कोई और जानकारी मांगी जा सकती है और जब भी आवश्यकता होगी, निवेशक द्वारा उसे प्रस्तुत किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(vi) निवेशक इकाई को 'उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024' के प्राविधानों के अन्तर्गत मिलने वाली वित्तीय रियायतें उसके द्वारा किये गये स्थिर निवेश (fixed capital investment) के 100 प्रतिशत (उ0प्र0 सेमीकण्डक्टर नीति-2024 के प्रस्तर-6 के अनुसार) की अधिकतम सीमा तक ही अनुमन्य होंगे।

(vii) इकाई द्वारा किये गये वास्तविक निवेश के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किये गये मूल्याँकन रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक देय प्रोत्साहन/छूट अथवा उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित आगणन में से जो भी निम्नतर हो, अनुमन्य होंगे।

(viii) इस नीति को राज्य में किसी अन्य नीति/योजना के साथ Dovetail नही किया जा सकता है। यद्यपि, भारत सरकार की योजनाओं/नीतियों के साथ Dovetailing की अनुमति है।

(ix) इकाई के स्थिर निवेश का आकलन एवँ इकाई की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/परियोजना मूल्याँकन रिपोर्ट, इकाई द्वारा नोडल एजेन्सी के समक्ष प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के समय वाह्य संस्था से अनिवार्य रूप से तैयार कराई जायेगी।

(x) वास्तविक पूंजी निवेश के आकलन हेतु वित्तीय लेखों (financial statements) के अतिरिक्त शासन द्वारा अपनी संतुष्टि के लिए मूल्याँकन एवं भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।

(xi) निवेशक के निवेश प्रस्ताव, परियोजना लागत, वित्तपोषण के माध्यम, टाइमलाइन्स इत्यादि में किसी परिवर्तन की दशा में, निवेशक द्वारा नोडल एजेन्सी को पूर्व सूचित किया जायेगा तथा निवेशक के अनुरोध पर नोडल एजेन्सी (आवश्यकता होने पर वाह्य संस्था) द्वारा परीक्षण किया जायेगा और विचारार्थ मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(xii) इस नीति के तहत किसी भी शब्द अथवा प्राविधान की व्याख्या से सम्बन्धित किसी संशय के स्पष्टीकरण/समाधान के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश को सन्दर्भित किया जायेगा तथा शासन का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(xiii) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि श्रम अधिनियमों एवं नियमावलियों के प्राविधान का उल्लघंन न हो।

(xiv) उपर्युक्त तालिका के बिन्दु-6 में उल्लिखित Transmission and wheeling charges (6.1.7) के संबंध में दी जाने वाली छूट की प्रतिपूर्ति ऊर्जा विभाग के संबंधित संस्था को की जायेगी।

(xv) उपर्युक्त तालिका के बिन्दु-16 में उल्लिखित Power subsidy of INR 2 per unit of consumption for 10 years from the date of commercial production के संबंध में दी जाने वाली सब्सिडी की प्रतिपूर्ति ऊर्जा विभाग के संबंधित संस्था को की जायेगी।

6- कृपया उक्त के क्रम में प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-41/2024//1787/78-1-2024तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
12- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
13- अपर निदेशक/महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, गौतमबुद्ध नगर।
14- गार्डफाइल।

आज्ञा से,
नेहा जैन
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।